तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.24	पत्रावली पेश हुई, बहुलाम फरीकैन उप०, प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct पर गत तारीख पेशी पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी जा चुकी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रा.पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वि.आ. खसरा नं. 400/0.86 स्थित ग्राम कुरंडा तह० नागर का 1/2 हिस्सा सायला ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है, जिसके आधार पर सायला का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है उक्त वि.आ. अविभाजित है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है, गैरसायलान सम्मिलित काश्त में व्यवधान करते हैं, गैरसायलान द्वारा दिनांक 25.07.2018 को धमकी दी और गैरसायलान अपने गैर इरादों में कामयाबी होने पर आमादा है, ऐसी सूरत हाल सायला गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार है कि गैरसायलान ताफैसला मुकदमा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत कायम रखें व जबरन सायला को ~~जमीन~~ अपनी जमीन से बेदखल नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रा.पत्र के कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि उक्त आराजी को गैरसायलान द्वारा खरीद करने के बाद खाद डालकर उपजाऊ बना लिया है, जबकि सायला के खेत में कम पैदा होती है, क्योंकि सायला अपनी आराजी में खाद नहीं डालती है, इसलिए सायला के मन में बदनीयती आ गई है। और उक्त आराजी को उत्तर-दक्षिण बंटवारा कराना चाहती है जो गलत है। सायला उक्त आराजी के पश्चिम दिशा व गैरसायलान बतरफ पूर्व दिशा में काश्त कर रहे हैं। इसी प्रकार बंटवारा कर दिया जावे हमें कोई एतराज नहीं है। अतः सायला	

PTO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को प्रार्थना पत्र मय हलफ खर्चा के खारिज करार जावे।

पत्रावली का समग्र अध्ययन / अवलोकन किया गया। बारे मुताबिक जमाबंदी सवत 2072-2075 बारे ग्राम कुरैना तह. नगर जि. भरतपुर ख. नं. 400/0.86 हे. रकबा में सायल व गैरसायलान सहखातेदार हैं, इस प्रकार मे दर्ज है। तथा आराजी अविभाजित है अतिम मह उचित प्रतीत होता है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जावे।

अतः दिनांक 31.07.2018 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है, निर्णय आज दिनांक 09/09/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनुराग हरित)